न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0 2, जौनपुर।
उपस्थित–रणजीत कुमार (एच0जे0एस0),
जे0ओ0 कोड–यू0पी0 6509
दाण्डिक निगरानी संख्या : 280/2025

अजय कुमार सिंह पुत्र शीत बहादुर सिंह, निवासी ग्राम सुरूआर पट्टी, थाना सिकरारा, जिला जौनपुर। ————————निगरानीकर्ता

बनाम

उ0प्र0 राज्य जरिये जिलाधिकारी, जौनपुर

————————————विपक्षी

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी, न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0), द्वितीय, जौनपुर द्वारा मुकदमा नं0 1974/2019, अजय कुमार सिंह बनाम पन्नेलाल व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 20.12.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिस आदेश के माध्यम से अभियुक्तगण ओमप्रकाश सिंह, विक्रान्त सिंह, श्रीप्रकाश सिंह, मनोज कुमार सिंह व कृष्ण प्रताप सिंह को धारा 166, 323, 504 भा0दं0सं0 के अंतर्गत विचारण हेतु तलब किया गया है।

2. निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी में यह आधार लिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तलबी आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अभियुक्तगण को धारा 166 भा0दं0सं0 के तहत तलब किया है, जबकि धारा 166 भा0दं0सं0 सरकारी कर्मचारी को अपने पद व अपने अधिकार का दुरूपयोग करने पर लगती है, और तलबशुदा अभियुक्तगण में से कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं है। जब धारा 166 भा0दं0सं0 में तलबी की गयी है, तो सरकारी कर्मचारी तत्कालीन थानाध्यक्ष पन्नेलाल व पुलिस वालों को न तलब करके अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय ने तलबी आदेश पारित करते समय पत्रावली का सम्यक् अवलोकन नहीं किया और सरसरी तौर पर आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक तथ्यों को छोड़कर कानूनी गलती की है। ऐसी स्थिति में अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 20.12.2022 में संशोधन व परिवर्तन किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

3. विपक्षी की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा आपत्ति का0सं0 24ख प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 20.12.2022 के विरूद्ध आपराधिक निगरानी योजित की गयी है। प्रश्नगत आदेश विधि विरूद्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक मस्तिष्क का प्रयोग करके न्याय की परिधि में रहकर प्रश्नगत आदेश पारित किया है, जिसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे में निगरानी निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

4. इस दाण्डिक निगरानी के प्रभावी निस्तारण के लिए संक्षिप्त सुसंगत तथ्य, जैसा कि परिवाद पत्र में उल्लिखित है, इस प्रकार हैं कि घटना दिनांक 21.08.2019 को सुबह 10 बजे परिवादी/निगरानीकर्ता के पट्टीदार ओमप्रकाश सिंह, विक्रान्त सिंह,

Digitally signed by RANJEET KUMAR
Date: 2026.02.13 16:30:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

श्रीप्रकाश सिंह, मनोज कुमार सिंह व कृष्ण प्रताप सिंह उर्फ गोलू दो तीन अज्ञात लोगों के साथ स्थगन आदेश की अवहेलना करके शौचालय का निर्माण शुरू कर दिये। जब उसने मना किया तो उपरोक्त सभी लोग एक राय होकर भद्दी–भद्दी गालियाँ व जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ धक्का–मुक्की व मारपीट किये। वह अपनी जान बचाने के लिए घर के अन्दर भागा तो सभी लोग घर में घुसकर उसको मारे–पीटे और जान से मारने की धमकी दिये। घटना को अरविन्द तिवारी, संजय सिंह, अवनेन्द्र प्रताप सिंह आदि ने देखा तथा बीच बचाव किया। उसने थाने पर प्रार्थनापत्र दिया, तो थानाध्यक्ष कोई कार्यवाही अभियुक्त के प्रभाव में नहीं किये। थानाध्यक्ष पन्नेलाल मां–बहन की गाली दिये एवं अपने पद व अधिकार का गलत प्रयोग किये और उसको अशोक सिंह, विकास सिंह सिपाहियों से धक्का मारकर कर भगवा दिये, अपमानित व गाली गलौज किये।

5. परिवादी का बयान धारा 200 दं0प्र0सं0 के तहत तथा साक्षीगण पी0डब्लू0–1 संजय कुमार सिंह व पी0डब्लू0–2 अरविन्द कुमार तिवारी का बयान धारा 202 दं0प्र0सं0 के तहत अंकित किये गये हैं। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण ओमप्रकाश सिंह, विक्रान्त सिंह, श्रीप्रकाश सिंह, मनोज कुमार सिंह एवं कृष्ण प्रताप सिंह को धारा 166, 323, 504 भा0दं0सं0 में विचारण हेतु तलब किया गया है, जिससे क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता/परिवादी द्वारा दाण्डिक निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

6. निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7. निगरानीकर्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश विधि एवं तथ्य के प्रतिकूल है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर आदेश पारित किया गया है, एवं विधिक तथ्यों को छोड़कर कानूनी गलती की गयी है। जिन अभियुक्तगण को धारा 166 भा0दं0सं0 में तलब किया गया है, उनमें से कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि उसके द्वारा पुलिसकर्मी के विरूद्ध परिवाद योजित किया गया था, और परिवाद के प्रथम पृष्ठ पर सिर्फ पुलिसकर्मीगण को नामित किया गया था, परन्तु विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पुलिसकर्मीगण को तलब न कर परिवादपत्र के अन्तर्वस्तु में नामित अन्य अभियुक्तगण को तलब कर लिया गया है, जबकि वे लोक सेवक नहीं हैं। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अपास्त कर निगरानी स्वीकार किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

8. उक्त के विपरीत प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश विधिसम्मत है, जिसमें किसी भी प्रकार की अवैधानिकता एवं तात्विक अनियमितता नहीं है, आक्षेपित आदेश पूर्णरूपेण औचित्यपूर्ण है। निगरानी खारिज किये जाने याचना की गयी है।

9. प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांकित 20.12.2022 के माध्यम से अभियुक्तगण ओमप्रकाश सिंह, विक्रान्त सिंह, श्रीप्रकाश सिंह, मनोज कुमार सिंह व कृष्ण प्रताप सिंह को विचारण हेतु तलब किया है, जिस आदेश का मुख्य रूप से यह आधार लिया है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के परिशीलन से विपक्षीगण ओमप्रकाश सिंह, विक्रान्त सिंह, श्रीप्रकाश सिंह, मनोज कुमार सिंह व कृष्ण

प्रताप सिंह के विरूद्ध धारा 166, 323, 504 भा0दं0सं0 के अंतर्गत अग्रेतर कार्यवाही किये जाने का प्रथम दृष्टया मामला पाया जाता है।

10. अभियुक्तगण को तलब किये जाने के सम्बन्ध में विधि व्यवस्था **पेप्सी फुड्स लिमिटेड बनाम ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (1988) 5 ACC 749** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि आपराधिक मामले में किसी अभियुक्त को तलब करना एक गंभीर मामला है। आपराधिक विधि को तकनीकी रूप से गतिमान नहीं किया जा सकता है। परिवादी द्वारा अपने परिवाद के समर्थन में दो गवाहों को परीक्षित करा देने से आपराधिक विधि गतिमान नहीं हो जानी चाहिए। जब मजिस्ट्रेट अभियुक्त को तलब करने का आदेश पारित करता है, तो उक्त आदेश में मजिस्ट्रेट के मस्तिष्क का प्रयोग मामले के तथ्यों व उस पर लागू विधियों के परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। मजिस्ट्रेट को परिवादपत्र के कथनों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का सम्यक रूप से सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना चाहिए।

11. प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण ओमप्रकाश सिंह, विक्रान्त सिंह, श्रीप्रकाश सिंह, मनोज कुमार सिंह व कृष्ण प्रताप सिंह को अन्य धाराओं के अलावा धारा 166 भा0दं0सं0 के तहत भी तलब किया गया है।

12. इस सन्दर्भ में धारा 166 भा0दं0सं0 लोक सेवक द्वारा कारित अपराध के बावत निम्नानुसार प्राविधान करता है–

''166. लोक सेवक, जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है–जो कोई लोक सेवक होते हुए विधि के किसी ऐसे निदेश की जो उस ढंग के बारे में हो जिस ढंग से लोक सेवक के नाते उसे आचरण करना है जानते हुए अवज्ञा इस आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा कि ऐसी अवज्ञा से वह किसी व्यक्ति को क्षति कारित करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।''

13. पत्रावली अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में परिवाद कथानक अनुसार घटना दिनांक 21.08.2019 को सुबह 10 बजे उसके पट्टीदार ओमप्रकाश सिंह, विक्रान्त सिंह, श्रीप्रकाश सिंह, मनोज कुमार सिंह व कृष्ण प्रताप सिंह उर्फ गोलू विवादित जमीन पर स्थगनादेश के बावजूद निर्माण शुरू कर दिये, जिससे परिवादी/निगरानीकर्ता द्वारा मना करने पर उपरोक्त लोगों भद्दी–भद्दी गालियां व जान से मारने की धमकी देते हुए धक्का मुक्की व मारे–पीटे एवं जान बचाने हेतु घर में भागने पर घर में भी घुसकर मारे–पीटे व जान से मारने की धमकी दिये। यह भी कहा गया है कि परिवादी ने थाने पर प्रार्थनापत्र दिया तो थानाध्यक्ष द्वारा कोई कार्यवाही अभियुक्तगण के प्रभाव में नहीं की गयी, तथा थानाध्यक्ष पन्नेलाल मां–बहन की गाली दिये, अपने पद व अधिकार का गलत प्रयोग किये और सिपाहीगण अशोक सिंह, विकास सिंह से धक्का मारकर भगवा दिये। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांकित 20.12.2022 के माध्यम से अभियुक्तगण ओमप्रकाश सिंह, विक्रान्त सिंह, श्रीप्रकाश सिंह, मनोज कुमार सिंह व कृष्ण प्रताप सिंह को धारा 323, 504 भा0दं0सं0 के साथ–साथ धारा 166 भा0दं0सं0 के अंतर्गत विचारण हेतु तलब किया गया है, जबकि धारा 166 भा0दं0सं0, लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा कारित करने के सम्बन्ध में प्रावधानित करता है। निगरानीकर्ता/परिवादी द्वारा परिवाद पत्र एवं अपने बयान अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 में ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है कि तलबशुदा अभियुक्तगण लोकसेवक हों। ऐसी स्थिति में तलबशुदा अभियुक्तगण, जो

निगरानीकर्ता/परिवादी कथनानुसार लोकसेवक नहीं है, को धारा 166 भा0दं0सं0 के अंतर्गत तलब किया जाना विधिविरूद्ध एवं अनौचित्यपूर्ण है। इस प्रकार विधिक प्राविधान के विपरीत जाकर बिना न्यायिक मस्तिष्क प्रयोग किये आदेश पारित किया गया है। तदनुसार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में तथ्यों एवं विधि की त्रुटि कारित की गयी है, जो कायम रहने योग्य नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय का आक्षेपित आदेश विधिसम्मत व औचित्यपूर्ण नहीं है और अपास्त होने योग्य है।

आदेश

निगरानीकर्ता अजय कुमार सिंह की ओर से संस्थित फौजदारी निगरानी सं0 280/2025, अजय कुमार सिंह बनाम स्टेट स्वीकार की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 20.12.2022 अपास्त किया जाता है।

विद्वान विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णय में दिये गये संप्रेक्षण के आलोक में पुनः विधि सम्मत व औचित्यपूर्ण आदेश पारित करे। निर्णय की प्रति मूल पत्रावली के साथ विद्वान विचारण न्यायालय प्रेषित की जाए।

दिनांक–13.02.2026

(रणजीत कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0 2, जौनपुर।
जे0ओ0 कोड–यू.पी. 6509

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक–13.02.2026

(रणजीत कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0 2, जौनपुर।
जे0ओ0 कोड–यू.पी. 6509